न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 444/2022

1. राजूकंवर पुत्री नगसिंह पत्नी भींवसिंह राजपूत
   निवासी नाहरसिंह तेना हाल इन्दों की ढाणी
   भीकमकौर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
2. गुलाबकंवर पुत्री नगसिंह पत्नी चैनसिंह राजपूत
   निवासी नाहरसिंह तेना, हाल इन्दों की ढाणी
   भीकमकौर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
3. छैलकंवर पुत्री नगरसिंह पत्नी जबरसिंह राजपूत
   निवासी नाहरसिंह तेना, हाल बेरायलकलां,
   तहसील खींवसर, जिला नागौर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. सुन्दरकंवर पत्नी नगसिंह राजपूत
   निवासी नाहरसिंहनगर तेना, तहसील शेरगढ
   जिला जोधपुर
2. देवीसिंह पुत्र भीखसिंह राजपूत
   निवासी नाहरसिंहनगर तेना,
   तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
3. तहसीलदार शेरगढ
   तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ दिनांक 30 जून 2022 प्रकरण संख्या 02/2017 राजूकंवर व अन्य बनाम सुन्दरकंवर इत्यादि

उपस्थित–
श्री छोटूसिंह सोढा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या दो
रेस्पो. संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 01 अक्टूबर, 2024

अजीत
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा म्युटेशन अपील संख्या 2/2017 राजूकंवर व अन्य बनाम सुन्दरकंवर आदि में पारित निर्णय दिनांक 30 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 22 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स राजूकंवर इत्यादि की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील पेश कर म्युटेशन संख्या 541 अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30 जून 2022 खारिज कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य म्युटेशन मामले के तथ्यों एवं कानूनी स्थिति को सही ढंग से समझे बिना एवं उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री को नजरअंदाज करते हुए स्वीकृत कर दिया गया। अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात के मृतक खातेदार नगसिंह की जायन्दा पुत्रियॉ है, मगर आलौच्य म्युटेशन स्वीकृत किये जाने के पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार नगसिंह के विधिक वारिसान के संबंध में कोई जांच नहीं की गयी और अपीलाण्ट्स को कोई सूचना दिये बिना ही आलौच्य म्युटेशन स्वीकृत कर दिया गया। जिससे समुचित समय में अपीलाण्ट्स को उक्त म्युटेशन बाबत कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 06 जनवरी 2017 को अपीलाण्ट्स द्वारा रेस्पो. संख्या एक को वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा किये जाने हेतु कहने पर रेस्पो. संख्या एक द्वारा खसरा संख्या 109 की भूमि अपीलाण्ट्स को दिये जाने का प्रस्ताव रखा और बकाया भूमि रेस्पो. संख्या एक द्वारा स्वयं के स्तर पर बेचान कर दिया जाना बताया गया, तब अपीलाण्ट्स को आलौच्य म्युटेशन बाबत वस्तुस्थित की जानकारी हुई और आवश्यक कार्यवाही कर अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। मगर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले के गुणावगुण व तथ्यों की वस्तुस्थिति पर गौर किये बिना मात्र मियाद जैसे तकनीकी आधार पर अपीलाण्ट्स की अपील जरिये अपीलाधीन निर्णय खारिज कर दी गयी, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्तागण–रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा म्युटेशन संख्या 541 जो दिनांक 07 दिसम्बर 1976 को स्वीकृत हुआ, के खिलाफ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष करीब 41 साल बाद अत्याधिक विलम्ब से अपील पेश की गयी और विलम्ब का कोई तर्कसंगत, युक्तियुक्त एवं संतोषप्रद कारण भी प्रकट नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत दिनांक 03 फरवरी 2017 को एक अपील प्रस्तुत की गयी और ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम नाहरसिंहनगर तेना स्थित भूमि बाबत स्वीकृत म्युटेशन संख्या 541 दिनांक 7 दिसम्बर 1976 अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिसमें विलम्ब को कोई संतोषप्रद, युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारण जाहिर किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आलौच्य म्युटेशन की कार्यवाही के करीब 41 साल बाद अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी अपील को मियाद-बाधित मानते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय खारिज कर दिया गया। जिसमें अदालत हाजा को कोई अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदुनसार खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30 जून 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर